



आवली तहसीलदार, नीमकाधाना से पत्रांक यू.अ. / 2024 / 3087 दिनांक 28  
5.2024 द्वारा राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 132  
था राजस्थान यू-राजस्व अधिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66  
के प्रावधानों के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव ग्राम आगवाड़ी ग्राम  
साथत आगवाड़ी पटवार मण्डल आगवाड़ी का प्राप्त होने पर पेश हुयी।  
आवली दर्ज रजिस्टर की जाकर समस्त खातेदारान को नोटिस / रजिस्टर्ड  
नोटिस द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 22.07.2024 को पेश हो।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाधाना (राज.)

22/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकूतान उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/8/24  
को पेश हो।

23/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकूतान उपस्थित।  
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/8/24  
को पेश हो।

24/8/24 पत्रावली पेश हुयी। पेंरोमल सरका व पञ्चमरानि कृषुआधिकारी  
का व्हाट्सअप लगावली जाने के उपरान्त भी पेंरोमल सरका  
व पञ्चमरानि की ओर से कोई आन्तित नयी कृषुआ अतः प्र.पत्र  
धारा 131, 132 के अन्तर्गत कृषुआ राजकी कृषुआ पेंरवी में खादीय  
किया जात है पत्रावली के तलब शुभ्र होकर नवत है कृषुआ  
होकर सफल डाखिल हो।

  
(राजवीर सिंह यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाधाना (राज.)